

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये हैं सख्त निर्देश

चेकिंग के दौरान चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद

थाना कोहड़ौर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अतरसण्ड नहर पुलिया से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण में दिनांक 31.07.2024 को थानाध्यक्ष उ०नि० राधेश्याम थाना कोहड़ौर के नेतृत्व में उ०नि० निकेत भारद्वाज मय हमराह उ०नि० राजेश कुमार, कां० राहुल कुमार, कां० प्रवीण कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के अतरसण्ड नहर पुलिया के पास एक अभियुक्त रंजीत तिवारी पुत्र विक्रम तिवारी नि०ग्राम अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ के पास से चोरी का 02 अदद मोबाइल (1. Galaxy A33 2. Redmi 9i) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत तिवारी ने पूछताछ पर बताया कि कभी कभी आते जाते लोगों का मोबाइल फोन चोरी कर लेता हूं और बेच देता हूं यह मोबाइल फोन हमने रखहा बाजार के पास टुनटुन ढाबा से चुराया था जिसको मैं आज बेचने जा रहा था।

उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 02 मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कोहड़ौर में मु०अ०सं० 131/24 धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रंजीत तिवारी पुत्र विक्रम तिवारी नि0ग्राम अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी का मोबाइल फोन Galaxy A33

2. चोरी का मोबाइल फोन Redmi 9i

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 निकेत भारद्वाज मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार, कां0 राहुल कुमार, कां0 प्रवीण कुमार थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

वादिनी मुकदमा की पुत्री को आरोपी द्वारा अपहरण करने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोहड़ौर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके घर से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

वादिनी मुकदमा की पुत्री को आरोपीगणों द्वारा अपहरण करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 31.07.2023 को मु0अ0सं0 130/24 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष उ0नि0 राधेश्याम थाना कोहड़ौर के नेतृत्व में उ0नि0 श्री निकेत भारद्वाज मय हमराह हे0कां0 लाल बाबू शुक्ला, कां0 प्रवीण कुमार यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, आकाश सिंह पुत्र राजनाथ सिंह नि0 अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 01.08.2024 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आकाश सिंह पुत्र राजनाथ सिंह नि0 अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री निकेत भारद्वाज मय हमराह हे0कां0 लाल बाबू शुक्ला कां0 प्रवीण कुमार यादव थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ०नि० सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह कां० राजेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र सूरजदीन शर्मा नि० पटखौली टेंऊगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र सूरजदीन शर्मा नि० पटखौली टेंऊगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह कां० राजेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करेला बाजार से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 01.07.2024 को धारा 376, 511, 506, 385 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित थाना कन्धई के नेतृत्व में उ०नि० श्री राम अवतार सिंह मय हमराह हे०का० विजय कुमार, का० कपिल चौधरी द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान धारा 376, 511, 506, 385 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, आशीष तिवारी उर्फ बीनू तिवारी पुत्र स्वामीनाथ तिवारी नि०ग्राम पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 31.07.2024 को थानाक्षेत्र पट्टी के करेला बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आशीष तिवारी उर्फ बीनू तिवारी पुत्र स्वामीनाथ तिवारी नि०ग्राम पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० श्री राम अवतार सिंह मय हमराह हे०का० विजय कुमार का० कपिल चौधरी थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० गिरजा प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०नं० 7211/04 मु०अ०सं० 53/92 धारा 323,504,506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र महादेव निवासी ग्राम खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को तहसील के पश्चिमी गेट के सामने पीपल के पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

कल्लू पुत्र महादेव निवासी ग्राम खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० गिरजा प्रसाद थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण/ दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अभियुक्त को थानाक्षेत्र देल्हूपुर के देल्हूपुर बस स्टैंड से किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपी अभियुक्त द्वारा वादनी का अपहरण / दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0-36/2024 धारा 363,366,323,506,376(2)n,344,316 भा0द0वि0 व 3(1)द,3(1)ध,3(2)v,SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थानाध्यक्ष धनजय राय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, पेंडिंग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-36/2024 धारा 363,366,323,506,376(2)n,344,316 भा0द0वि0 व 3(1)द,3(1)ध,3(2)v,SC/ST एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार पुत्र विजय प्रकाश उर्फ बैताली निवासी गौरा पोस्ट कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र देल्हूपुर के देल्हूपुर बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धीरेन्द्र कुमार पुत्र विजय प्रकाश उर्फ बैताली निवासी गौरा पोस्ट कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष धनजय राय मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी,का0 हरवीर सिंह थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 01.08.2024

थाना मानिकपुर जनपद- प्रतापगढ़

टाइनी संचालक व्यक्ति और एक महिला के साथ फायरिंग करने लूटने का किया गया था प्रयास

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना मानिकपुर/थाना कुण्डा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुठभेड़ में 01 आरोपी को किया गया था गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा लूट के प्रयास की घटना से संबंधित 01 अन्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत तिवारीपुर नहर पुलिया के पास से किया गया 01 अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़

दिनांक 30.07.2024 को सुबह में थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समसपुर शैलवारा स्थित टायनी शाखा संचालक उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पूरे हुलास राय का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ जो बैंक ऑफ बड़ौदा कस्बा मानिकपुर से 50,000/- रुपये निकाल कर अपने स्कूटी से वापस टायनी शाखा जा रहे थे कि रास्ते में समसपुर शैलवारा माइनर पुल पर एक टीवीएस रायडर मोटर साइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग करते हुए टायनी शाखा संचालक द्वारा बैंक से निकाले हुए पैसों को लूट करने का प्रयास किया गया। जिस पर टायनी शाखा संचालक द्वारा अपनी जान बचाकर भागकर वापस अपनी टायनी शाखा आ गया। इस संबंध में टायनी शाखा संचालक की तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5), 352, 351(3) बी0एन0एस बनाम राइडर बाइक सवार 03 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये पुलिस मुठभेड़ में 01 अभियुक्त अमन कश्यप पुत्र वीरेंद्र कश्यप निवासी लाटतारा थाना मानिकपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा फरार 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश दिया जा रहा था।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.08.2024 को थाना मानिकपुर के उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, पेंडिंग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 218/24 धारा 309(5), 352, 351(3),61(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत तिवारीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 वासिल, का0 गौरव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 01.08.2024

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अन्य शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

गैंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभ्यस्त अपराधी गिरफ्तार।

थाना संग्रामगढ़ में बीडी इंटर कॉलेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धिधर पुरेली मखदुमपुर व मिश्रा आटो मोबाइल पेट्रोल पम्प बाबागंज में हुई चोरी की घटना में थे संलिप्त।

चोरी के अभियोग से संबंधित कुल 8000/-रूपये व 02 जोड़ी पायल(सफेद धातु) व 08 नग बिछिया(सफेद धातु) बरामद संबंधित मु0अ0सं0- 169/224 धारा 303(2),317(4) बीएनएस व मु0अ0स0-170/24 धारा 305,331(4),317(2),317(4) बीएनएस

थाना मानिकपुर क्षेत्र से सलोन जाने वाली सड़क पर मुलकटवा की पुलिया ग्राम कुसवापुर से 01 अभियुक्त मो0तबरेज को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 27/28.07.2024 की रात्रि में बीडी इंटर कॉलेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धि धर ग्राम पुरेली मखदुमपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, माउस, बिजली के केबल, रूपये व मिश्रा ऑटो मोबाइल्स पेट्रोल पम्प बाबागंज के जनरेटर की बैटरी चोरी के प्रकरण में थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मैनुअल/ वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पहचान कर चोरी के इलेक्ट्रॉनिक सामान/बिजली के तार, नकद रूपये व बैटरी के साथ गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु दिये दये सख्त निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.08.2024 को थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह उ0नि0 विनय वर्मा, का0 मन्दीप सिंह, का0 धनन्जय श्रीवास्तव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर क्षेत्र से सलोन जाने वाली सड़क पर मुलकटवा की पुलिया ग्राम कुसवापुर से 01 अभियुक्त मो0 तबरेज पुत्र बल्लू निवासी ग्राम पूरे अली नक्कीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उसकी जींस की बाये जेब से कुल 3900/- रुपये व पीछे की जेब से कुल 4100/- रुपये, इस प्रकार कुल 8000/-रुपये व 02 जोड़ी पायल(सफेद धातु) व 08 नग बिछिया(सफेद धातु) संबंधित मु0अ0सं0- 169/224 धारा 303(2),317(4) बीएनएस व मु0अ0स0-170/24 धारा 305,331(4),317(2),317(4) बीएनएस बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 27/28.07.2024 की रात्रि में बीडी इण्टर कॉलेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धि धर ग्राम पुरेली मखदुमपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, माउस, बिजली के केबल, रुपये व मिश्रा ऑटो मोबाइल्स पेट्रोल पम्प बाबागंज के जनरेटर की बैटरी को चुराये थे । हम लोगों का एक समूह है जिसमें हम दोनों के अलावा लल्लू पुत्र बल्लू व उसका भाई तबरेज पुत्र बल्लू निवासीगण पूरे अली नक्कीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ तथा फिरोज पुत्र बबलू हत्था निवासी मीकगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ व शेरा पुत्र इकबाल निवासी ममरखापुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ है । हमारे समूह का लीडर शेरा उपरोक्त है, कब कहाँ चोरी करनी है इसकी योजना शेरा बनाता है और हम सभी को बुलाकर सबका काम बाँटता है तथा चोरी की घटना करने के बाद चोरी के सामान को शेरा द्वारा हम लोगों में बाँट दिया जाता है और चोरी के सामान को बेचने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है उसे शेरा अपने पास माँगता है और फिर सबका हिस्सा बाँट देता है । मेरे पास से बरामद रूपया को बीडी इण्टर कालेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धि धर ग्राम पुरेली मखदुमपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से चोरी किये थे तथा बरामद सफेद धातु के सामान व कुछ रुपये दिनांक 01.07.2024 व 02.07.2024 की रात्रि में ग्राम पुरे बेचुराम मजरा पनिगो के घरों में की गयी चोरी के है। जिसे मैं आज बेचने के लिये जा रहा था ।

बरामदगी-

1- कुल 8000/-रुपये बरामद ।

2- 02 जोड़ी पायल(सफेद धातु) व 08 नग बिछिया(सफेद धातु) बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह उ0नि0 विनय वर्मा, का0 मन्दीप सिंह, का0 धनन्जय श्रीवास्तव थाना
संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।